| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/एलआर/3405/2005/भीलवाड़ा<br>निगरानी/एलआर/3437/2005/भीलवाड़ा<br>सुबोधकुमार बनाम जगदीश प्रसाद | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

एकलपीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

उपस्थितः–
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री ओ0एल0दवे, अधिवक्ता अप्रार्थी।

––

आदेश

दिनांकः 16–10–19

निगरानी सं0 3437/2005 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा अपील सं0 60/2001 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 02–05–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है तथा निगरानी सं0 3405/2005 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण सं0 220/2002 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 09–06–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

इन दोनों निगरानियों के तथ्य,प्रकृति,पक्षकार एवं कानून बिन्दू समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावें।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं0 1 ने आवासीय खसरा नं0 1886 हाल नंबर 1967 में भू खण्ड क्षैत्रफल 17–1/2 गुणा16 फीट पर बनी दो दुकाने अप्रार्थी सं0 2 से दिनांक

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/एलआर/3405/2005/भीलवाड़ा<br>निगरानी/एलआर/3437/2005/भीलवाड़ा<br>सुबोधकुमार बनाम जगदीश प्रसाद | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 22–08–90 को इकरारनामा लिखकर कब्जा दे दिया तथा दिनांक 19–11–94 को इकरारनामे के अनुसार रजिस्ट्री करवा दी। तहसीलदार, भीलवाड़ा ने उक्त दुकाने सरकारी भूमि पर मानकर अप्रार्थी सं0 2 को अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी किया। अप्रार्थी सं0 2 ने फिर आराजी खसरा नं0 1886, जिसके हाल नं0 1967 बताकर अपनी शेष भूमि (दुकानों के अलावा) प्रार्थी को विक्रय कर दी। इस बाबत् विवाद होने पर दीवानी न्यायालय से यथास्थिति का स्थगन प्रदान किया गया। किन्तु उक्त यथास्थिति आदेशों के बावजूद नगर विका प्रन्यास, भीलवाड़ा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में नियमन आदेश दिनांक 21–04–20001 को किया जाकर पट्टा जारी किया गया। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपील अति0 संभागीय आयुक्त, भीलवाड़ा के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 02–05–2002 द्वारा अपील को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को प्रतिप्रेषित किया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह निगरानी सं0 3437/2005 मण्डल में प्रस्तुत की गई है तथा उक्त प्रतिप्रेषण आदेश के पश्चात् प्रकरण प्राप्त होने पर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने तहसीलदार, भीलवाड़ा से मौका निरीक्षण कर प्रतिवेदन पेश करने हेतु निर्देशित किया, जिन्होंने मौके का प्रतिवेदन दिनांक 06–01–2003 को पेश किया। मौका कार्यवाही पर आपत्ति होने से उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौके की पूर्ण जांचख करने के पश्चात् मौका प्रतिवेदन पेश करने हेतु निर्देशित किया, उक्त आदेश की पालना में उपखण्ड अधिकारी ने दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर मौका निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 24–02–2004 को पेश किया, जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/एलआर/3405/2005/भीलवाड़ा<br>निगरानी/एलआर/3437/2005/भीलवाड़ा<br>सुबोधकुमार बनाम जगदीश प्रसाद | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | आपत्ति प्रकट की तथा पनती पर आंशका प्रकट की। बाद सुनवाई जिला कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 09-06-2005 द्वारा आपत्ति प्रा0 पत्र को सारहीन होने से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर निगरानी सं0 3405/2005 पेश की है।<br><br>हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।<br><br>योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनियम की धारा 90 बी(7) के तहत संधारण योग्य नहीं थी, क्योंकि सचिव नगर विकास न्याय ने अपने आदेश दिनांक 21-04-2001 अधिनियम की धारा 90 बी(5) के तहत पारित नहीं किया था, ऐसी स्थिति में अति0 संभागीय आयुक्त का आदेश मूलतः क्षैत्राधिकार विहिन था। उनका यह भी तर्क था कि अगर यह मान भी लिया जाए कि अपील संधारण योग्य मानी जाए तो अति0 संभागीय आयुक्त को प्रकरण प्रतिप्रेषित करने का अधिकार केवल उस न्यायालय या बॉडी को है, जिसने आदेश पारित किया है चूँकि सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 30-04-2001 की अपील अति0 संभागीय आयुक्त के यहाँ पेश की गई थी यदि अति0 संभागीय आयुक्त, सचिव नगर विकास न्याय के आदेश दिनांक 21-04-2001 से सहमत नहीं थे तो प्रकरण केवल सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को ही लौटा सकते थे। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को किसी भी दृष्टिकोण से नगर विकस न्यास के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार नहीं है व न ही कोई आदेश पारित करने का क्षैत्राधिकार है। अन्त में उन्होंने निवेदन | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/एलआर/3405/2005/भीलवाड़ा<br>निगरानी/एलआर/3437/2005/भीलवाड़ा<br>सुबोधकुमार बनाम जगदीश प्रसाद | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | किया कि दोनों निगरानियाँ स्वीकार की जाकर आक्षेपित निर्णयों को निरस्त किया जावें।<br><br>योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुए तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत निर्णय पारित किए है तथा उनके निर्णय उचित एवं विधिसम्मत है, जिनमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः दोनों निगरानियाँ निरस्त की जावें।<br><br>मने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।<br><br>प्रश्नगत निगरानियाँ सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-04-2001 से संबंधित है। उक्त आदेश द्वारा नगर विकास न्यास ने विवादित भूमि का नियमन प्रार्थी सुबोध कुमार के पक्ष में किया है। उक्त नियमन को अप्रार्थीगण द्वारा संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष इस आधार पर चुनौति दी गई कि दुकानों का नियमन प्रार्थी के बजाय अप्रार्थीगण को किया जाना चाहिए। यह तथ्य पूर्णतया स्पष्ट है कि यह प्रकरण भूमि पर खातेदारी अधिकारों के संबंध में अनुतोष पाने हेतु नहीं है किन्तु खातेदार के अधिकार टरमिनेट किए जाकर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहित होने के पश्चात् नियमन से संबंधित है। ऐसी स्थिति में सचित नगर विकास न्यास का आदेश धारा 90 (बी) (3) के अन्तर्गत पारित किया गया आदेश है। जैसा कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि 90 बी (3) के अन्तर्गत पारित आदेशों | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/एलआर/3405/2005/भीलवाड़ा<br>निगरानी/एलआर/3437/2005/भीलवाड़ा<br>सुबोधकुमार बनाम जगदीश प्रसाद | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | के विरूद्ध राजस्व न्यायालयों में अपील पोषणीय नहीं है। अति0 संभागीय आयुक्त ने प्रतिप्रेषण आदेश पारित करते समय क्षैत्राधिकार के प्रश्न को नहीं देखा, ऐसी स्थिति में जब उनके समक्ष अपील पोषणीय नहीं थी तो उनके द्वारा पारित प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में जिला कलक्टर का निर्णय भी क्षैत्राधिकार विहिन होने के आधार पर निरस्तनीय है।<br><br>उपरोक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में ये दोनों निगरानियाँ स्वीकार की जाकर अति0 संभागीय, अजमेर का निर्णय दिनांक 02–05–2002 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 09–06–2005 निररस्त किए जाते है। अप्रार्थी 90 (बी) (3) के अन्तर्गत पारित नगर विकास न्यास के आदेश के विरूद्ध विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।<br><br>(शिखर अग्रवाल)<br>सदस्य | |